ायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :—21 / 2018

उनवान

1 देवा खॉ पुत्र राजू जाति चीता निवासी खापरी की डांग राजौसी

—— वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

1. जफरू पुत्र राजू
2. फैजू खॉ पुत्र राज
3. रामा पुत्र राजू
4. जडाव पत्नी पीर मौहम्मद
5. नसीर पुत्र पीर मौहम्मद
6. कदीर पुत्र पीर मौहम्मद
7. ईशाक पुत्र पीर मौहम्मद
8. यूसुफ पुत्र पीर मौहम्मद

समस्त जाति चीता निवासी खापरी की डांग राजौसी

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 फिरोज खान
2,3,4,6,8 आशीष अजमेरा
5,7 एक पक्षीय कार्यवाही

वाद पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 28.10.21

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात खाता संख्या 71 / 66 खसरा नम्बर 3482, 3483, 3484, 3643, 3644, 3645, 3646, 3648, 3711, 3712, 3713, 3714 रकबा 0.02, 0.15, 0.04, 0.05, 0.12, 0.05, 0.38, 0.34, 0.14, 0.06, 0.36, 0.14 ग्राम खापरी की डांग राजौसी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहकाश्तकारी की भूमि है। वादग्रस्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी की है। आराजी मुतनाजा का आज दिनांक तक बंटवारा नहीं हुआ है। अतः वादग्रस्त आराजियात का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 17:00:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

...ण्ड्स अनुसार किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया। व वादग्रस्त आराजियात का अन्यत्र बय,बेचान, रहन या अन्य तरीके से हस्तांतरण नहीं करे इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने हेतु निवेदन किया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 व 7 बावजूद तामिल उपस्थित नहीं होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 1 व 2,3,4,6,8को जवाब हेतु समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं किये जाने से जवाब बंद किया गया। तथा अनुपस्थित रहने के कारण वाद निस्तारण के दौरान एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी है। राज0 पेरोकार ने जवाब पेश नहीं करना जाहिर किया। साथ ही जाहिर किया की वादी अपना वाद स्वयं सिद्ध करे।

प्रकरण में वाद के समर्थन में वाद का खण्डन नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के समर्थन में जमाबन्दी संवत 2071–74 दस्तावेज प्रस्तुत किये।

वकील वादी ने साक्ष्य पेश नहीं कर सीधे ही बहस करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया।

वादी द्वारा ग्राम खापरी की डांग राजौसी के खाता संख्या 71/66 खसरा नम्बर 3482, 3483, 3484, 3643, 3644, 3645, 3646, 3648, 3711, 3712, 3713, 3714 रकबा 0.02, 0.15, 0.04, 0. 05, 0.12, 0.05, 0.38, 0.34, 0.14, 0.06, 0.36, 0.14 हैक्टर की वर्तमान जमाबन्दी पेश की है जिसमें जडाव पत्नी पीर मौहम्मद, नसीर, कदीर, इसा यूसुफ पि0 पीर मौहम्मद व रामा, देवा खॉ, जफरू, फैजू खॉ पि0 राजू के नाम दर्ज है। आराजी मुतनजा वर्तमान जमाबन्दी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में अविभाजित है। वादग्रस्त आराजी के विभाजन से उभयपक्ष के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा। प्रतिवादीगणों ने वाद में किसी प्रकार का कोई खण्डन नहीं किया है। प्रतिवादीगण कोई आपत्ती हो तो विभाजन प्रस्ताव के समय पेश कर सकते है। आराजी मुतनाजा का विभाजन भूमि की किस्म, मूल्य व लगान के आधार पर किया जाना ही न्यायोचित है।

अतः ग्राम खापरी की डांग राजौसी के खाता संख्या 71/66 खसरा नम्बर 3482, 3483, 3484, 3643, 3644, 3645, 3646, 3648, 3711, 3712, 3713, 3714 रकबा 0.02, 0.15, 0.04, 0. 05, 0.12, 0.05, 0.38, 0.34, 0.14, 0.06, 0.36, 0.14 हैक्टर की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विधिवत विभाजन उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति में तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 17:00:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इब्ताई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

देवा खॉ बनाम जफरू

दावा बाबत :– 53, 88, 188, रा.का.अधि 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर –21 / 2018
पेश करने की दिनांक – 27.2.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक हीरालाल माली मुददई फिरोज खान,त्र आशीष अजमेरा मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम खापरी की डांग राजौसी के खाता संख्या 71 / 66 खसरा नम्बर 3482, 3483, 3484, 3643, 3644, 3645, 3646, 3648, 3711, 3712, 3713, 3714 रकबा 0.02, 0.15, 0.04, 0.05, 0.12, 0.05, 0.38, 0.34, 0.14, 0.06, 0.36, 0.14 हैक्टर की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विधिवत विभाजन उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति में तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 28 माह 10 सन् 2021 को जारी की गयी।

मुददई		मुदायला	
स्टाम्प अरजी दावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प वजह सबूत		मेहनताना वकील	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिश्नर	
खर्चा गवाहान		बाबत् इजराय हुक्मनामा	
बाबत् इजराय हुक्मनामा		मुतफरिक	
मुतफरिक			
मिजान		मिजान	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 17:00:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner